राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–1) विभाग

प.2(22)खानं // ग्रुप-1 / 2019

जयपुर, दिनांकः 12.03.2020

आदेश

राजर्शान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम,1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय प्रदोन्नित समिति की अनुशंधा के आधार पर पश्चात्वर्ती अविध में उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को पश्चातवर्ती वर्ष में आयोजित होने वाली विभागीय प्रदोन्नित समिति की बैठक द्वारा नियमित किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार पर श्री त्रिलोक शंकर शर्मा को वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद से अधीक्षण भूवैज्ञानिक के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री शर्मा के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे है।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निजी सचिव, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग, जयपुर
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 4. निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर
- 5. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर
- 6. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभागः उदयपुर
- 7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली

िर्भूभ ० र (शम्भू देयाल प्रजापति) सहायक शासन सचिव

-CT/19 32 13:3:55